फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर

हड़मानराम बनाम बनवारीलाल

किस्म मुकदमा 225 आरटीए   नम्बर......50......./18

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.08.18	अभिभाषक अपीलांट श्री हरिराम बिश्नोई उपस्थित। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश हुई। जो पंजीबद्व हो। हस्तगत् प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर दिनांक 09–07–18 को एकतरफा आदेश पारित करते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा इस आश्कक की जारी किया कि वादगत् आराजी तहसील कोलायत के चक 7 एमडीएम के मुरब्बा नम्बर 123/32 के किला नम्बर 17, 18, 23, 24 में 4 बीघा व मुरब्बा नम्बर 124/25 के किला नम्बर 3 ता 8, 14 ता 17, 25 में 10 बीघा तथा मुरब्बा नम्बर 124/25 में किला नम्बर 13, 18 में 2 बीघा तादादी 16 बीघा 17 बिस्वा भूमि के मौके की यथास्थिति कायम रखी जावे व अप्रार्थीगण को उजर एतराज के लिए दिनांक 30–08–18 को उपस्थित होने के निर्देश दिये गये। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 09–07–18 को पारित अपीलाधीन आदेश एक अंतरिम आदेश है तथा अधिनस्थ न्यायालय में धारा 212 आरटीए के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हेतु अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब कर पत्रावली आयन्दा दिनांक 30–08–18 निर्धारित की हुई है। चूंकि प्रकरण में अदालत मातहत के समक्ष सुनवाई हेतु आगामी दिनांक 30–08–2018 नियत की गई है। यदि अपीलांट को उक्त आदेश से किसी प्रकार का कोई एतराज है तो आगामी नियत दिनांक को उपस्थित होकर व्यक्त करने हेतु स्वतन्त्र है। ऐसी स्थिति में न्यायालय हाजा, अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित एकतरफा अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश में किसी प्रकार का	

Scanned by CamScanner

कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते है। पक्षकारों को अपीलाधीन आदेश से कोई आपत्ति है तो निर्धारित दिनांक को अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

अतः उक्त विवचेना के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफतर हो।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर।

Scanned by CamScanner